FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला – अलवर

रघुवीर सिंह बनाम सरकार सन्

मुकदमा नं

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22.1.16 [illegible] गई। वास्ते [illegible] दिनांक 1.4.16 को पेश हो।	
	1.4.16 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] है। [illegible] पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 27.5.16 को पेश हो।	
29/5/16	पत्रावली राजस्व कोर्ट अधिकारी [illegible] ग्रा० प० [illegible] में पेश हुई। प्रकरण [illegible] समक्ष दि. 29.6.16 को पत्रावली पर अवलोकन किया। विवादित भूमि चारागाह [illegible] है। चारागाह वर्ष रिकार्ड है। खसरा 2020 से चारागाह है। कब्जे के आधार पर चारागाह भूमि पर खातेदारी व खातेदारी अधिकार देना सम्भव नहीं है। वाद खारिज किया जाता है। निर्णय व डिक्री [illegible] पत्रावली निर्णय अनुसार [illegible] अभिलेख दफ्तर हो।	

अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारी